न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टी ए/5493/2005/बारां

1.सौभाग पुत्र बद्री लाल
2.रामकरण मृतक जरिये वारिसान–
2/1.श्याम लाल
2/2.रामप्रताप 2/3.मोहन लाल पिसरान रामकरण जाति मीणा निवासी कोटडी पाठेडा तहसील व जिला बांरा
2/4. मोहनी बाई पत्नी राम लाल पुत्री रामरण जाति मीणा निवासी खरकडा तहसील अटरू जिला बांरा
2/5. काली पत्नी भैरू लाल पुत्री रामकरण निवासी आमली तहसील अटरू जिला बांरा
3. श्योपाल पुत्र बद्री लाल
4.रघुवीर 5. नरेन्द्र 6. पप्पू 7. रामकल्याण पिसरान रामगोपाल जाति मीणा निवासी कोटडी पाठेडा तहसील व जिला बारां

अपीलार्थी

बनाम

विजयकरण पुत्र भोलानाथ जाति ब्राहमण निवासी कोटडी पाठेडा तहसील व जिला बारां हाल निवासी टिपटा कोटा।

प्रत्यर्थी

खण्ड पीठ

श्री मनोज कुमार नाग सदस्य
श्री सतीश चन्द्र गोदारा सदस्य

उपस्थित
श्री मुकेश जैन अभिभाषक अपीलार्थी
श्री यज्ञ दत शर्मा अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः 13–01–2021

1. यह अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय व डिक्री दिनांक 22–9–2005 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी बारां के न्यायालय में प्रत्यर्थी वादी ने अपीलार्थी

प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अधिनियम की धारा 183 व 188 के तहत वादपत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये निर्णय दिनांक 30–10–2003 से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 22–9–2005 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थीगण को सम्मन की प्रोपर तामील नहीं की गई थी। कुछ तामीलें दूसरे व्यक्तियों को की गई तथा कुछ तामीलों पर बिना चस्पांदगी के आदेश हुये, खुले मकान पर चस्पांदगी दिखाते हुये एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित कर दिये। अपीलार्थी वादग्रस्त आराजी पर विगत 4–5 वर्षो से काबिज काश्त चले आ रहे हैं जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थीगण ने खसरा गिरदावरी सम्बत 2020 लगायत 2023 2024लगायत 2026,2027 लगायत 2030,2031–34,2035–38 तक की गिरदावरियां कब्जे काश्त के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर दी थी। प्रत्यर्थी का वाद मियाद बाहर होने से चलने योग्य नहीं था। उनका तर्क है कि प्रत्यर्थी रामगोपाल को पक्षकार बनाया गया है जबकि उनका देहान्त दिनांक 19–4–2004को ही हो चुका था और यदि उसको पक्षकार नहीं माना जावे तो उसको नोटिस दिये जाने का क्या औचित्य था। अपीलार्थी अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति है। वादग्रस्त आराजी के अलावा उनके पास अन्य कोई आराजी

नहीं है। अतःदोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य हैं।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया है तथा जबाब दावा पेश करने हेतु कई अवसर प्रदान करने के बाद भी अपीलार्थी ने जबाब दावा पेश नहीं किया जिस पर विचारण न्यायालय ने वादी की साक्ष्य लेकर गुणावगुण पर विचार करते हुये निर्णय पारित किया है। प्रत्यर्थी वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है। अपीलार्थी द्वारा जबरन कब्जा किये जाने पर बेदखली का वाद प्रस्तुत किया जिसके डिक्री करने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक भूल नहीं की है।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी किया गया है जिसकी विधिवत तामील होने के बाद अपीलार्थीगण के अनुपस्थित रहने के कारण अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात विधिवत निर्णय पारित किया है। वादग्रस्त आराजी पर विगत काफी वर्षो से लगातार कब्जा हो इस बाबत भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें बिना किसी ठोस आधार के द्वितीय अपील के स्तर पर हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

8. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य